



श्री. शांतिलालजी मुथ्था
संस्थापक, BJS



संपादक की कलम से
प्रिय स्नेहीजन,

कोरोना लॉकडाउन
द्वितीय की समाप्ति का
काउंटडाउन शुरू हो गया है।
देखते देखते ही अब 3 मई का दिन भी आ
पहुंचेगा. थमी हुई सी गई ज़िन्दगी फिर से पंख
फड़फड़ाने को अधीर है. अक्षय तृतीया के
अवसर पर आप सभी को हार्दिक
शुभकामनाएं देते हैं और आपके अच्छे
स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं.



BJS Family Summit face
book live page पर 22 अप्रैल को
BUSINESS ISSUES POST
LOCKDOWN - NEW GUIDELINES
FOR ACCOUNTING & TAXATION
विषय पर CA Manish Dafria ने संवाद
प्रस्तुत किया जिसे लिपिबद्ध कर सभी
व्यवसायी बंधुओं के पठन हेतु इस अंक में
प्रकाशित कर रहे हैं.

निरंजन जुंवा जैन

सदस्य - BJS राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति



BJS FAMILY SUMMIT Live Face book Series
DAY 22

April
22

Business Issues Post Lockdown - New Guidelines For Accounting & Taxation

**Indore based Sh. Manish Dafria is a practicing
Chartered Accountant. He is visiting faculty IIM,
Indore**



लोकडाउन काल के पश्चात व्यवसाय हेतु क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे?
एकॉउंटिंग, टेक्सेशन या फिर कैश फ्लो? व्यवसाय कितना प्रभावित
होगा? क्या क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं? भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार ने
व्यवसायियों के लिए राहत की क्या घोषणाएं की हैं? आईये! इन सब मुद्दों पर दृष्टिपात करें.

(1) कोरोना विपत्ति काल में व्यवसायियों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने IT
एवं GST के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी कर 20 मार्च से 29 जून, 2020 तक भरे या जमा
कराए जाने वाले आयकर या GST की अनुपालन अवधि या तिथि 30 जून, 2020 कर दी है.

(2) गत वर्ष यानि 2018-19 के लिए व्यक्तिगत या कम्पनी का आयकर रिटर्न जो
क्रमशः जुलाई या सितंबर, 2019 में फाइल होना था और लोकडाउन या ओर किसी
कारणवश 30 मार्च, 2020 तक फाइल न कर पाएं हो तो इसकी भी तिथि बढ़ाकर 30 जून,
2020 की गई है.

(3) वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न हेतु मिलने वाली छूट (exemptions) जैसे
कि LIC, PPF जिसे 30 मार्च, 2020 तक जमा या भुगतान करना था, इसकी भी तिथि
बढ़ाकर 30 जून, 2020 की गई है.

(4) फरवरी, मार्च और अप्रैल माह की GST की रकम (टैक्स) जमा कराने की अंतिम
तिथि बढ़ाकर 24 जून, 2020 की गई है. व्यवसायी यदि इस तिथि तक तीनों माह का इकट्ठा भी
भुगतान करते हैं, तो ब्याज नहीं लगेगा. यदि इस तिथि के बाद जमा करते हैं तो 9% वार्षिक के
हिसाब से ब्याज देय होगा. विभिन्न परिस्थितियों और मुद्दों को ध्यान में लेते हुए, बढ़ी हुई
अंतिम तिथि का लाभ व्यवसायियों को लेना चाहिए.

(5) IT में मार्च माह का TDS 30 अप्रैल तक काटकर 7 मई तक जमा कराना होता है.
यह भी 30 जून, 2020 तक जमा करवाया जा सकेगा. हाँ, इस पर 7.5% मासिक के हिसाब से
ब्याज देय होगा.

(6) ऐसे व्यवसायी या कम्पनियाँ जिनके कर्मचारियों की संख्या 100 के अंदर है और
इन कर्मचारियों में से 90%की मासिक पगार ₹ 15,000 या कम है तो मार्च, अप्रैल और मई

Contd...



कुल तीन माह के प्रोविडेंट फण्ड की राशी का भुगतान केंद्र सरकार करेगी. योजना का लाभ लेने के लिए कुछ procedural formalities employer को करनी होगी. स्मरण में रहे कि employee व employer दोनों का कुल contribution 24% होता है जिसे वहन करने का उत्तरदायित्व सरकार ने लिया है.

(7) जिन व्यवसायियों या कम्पनियों को प्रोविडेंट फण्ड मार्च तथा अप्रैल का क्रमशः 15 मार्च और 15 अप्रैल को जमा कराना था, उनके लिए यह तिथि बढ़ाकर 15 मई की गयी है.

(8) व्यवसायियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है. जिन्होंने व्यवसाय के लिए ऋण (loan) ले रखा है, उनके लिए मार्च, अप्रैल और मई माह की किश्त (EMI) अदायगी तीन माह के लिए मुलतवी (defer) की गयी है. स्मरण में रहे कि ब्याज देना होगा किन्तु credit score पर negative impact नहीं आएगा और न ही NPA calculate होगा. Moratorium अवधि का लाभ लेने के लिए क्या आवेदन करना होगा या स्वतः ही तीन माह की अवधि बढ़ी हुई मान ली जायेगी? इस संबंध में स्पष्टीकरण लेने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि बैंकों ने उनके अपने नियम बनाए हैं, जिस हेतु उनकी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी.

Regulatory changes में, जिनकी अपील पेंडिंग है, उनके लिए एक योजना 'विवाद से विश्वास' तक आयी थी, जिसमें मूल आयकर(excluding interest & penalty) की रकम को 30 मार्च, 2020 तक भरना था. 30 मार्च के बाद विलंब से भरने पर 10% अतिरिक्त भरना था. आशा करें कि इस योजना की अंतिम तिथि भी 30 जून, 2020 हो जाएगी. यदि लॉकडाउन समाप्त होने पर स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो संभावनाएं हैं कि उपरोक्त सभी अंतिम तिथियों को सरकार आगे बढ़ा सकती है.

वर्तमान में कोरोना हमारे स्वास्थ्य या जीवन को चुनौती दे रहा है. कोरोना काल के पश्चात प्रमुख चुनौती अर्थव्यवस्था के सामने होगी. व्यवसाय करना भी एक बड़ी चुनौती होगा. Regulatory compliances की due date 30 जून, 2020 है किन्तु Non-compliance की स्थिति में क्या ब्याज तथा पेनाल्टी भरनी होगी? इस प्रश्न का उत्तर तो आने वाले कुछ महीनों में ही मिल सकेगा.

वित्त वर्ष 2019-20 की एकाउंटिंग से संबंधित परिस्थितियां क्या रहेंगी? IT Return जुलाई और सितम्बर में file होता है. हो सकता है इसकी अंतिम तिथि में कोई परिवर्तन न हो. Balance Sheet में मार्च,

2020 में कम हुई sale व Inventory Valuation पर ध्यान देना होगा. कोरोना को लेकर तकलीफ सबको है, किन्तु व्यवसायियों के लिए स्थिति अधिक विकट है. लॉक डाउन पश्चात की अवधि में Turn Over कम होगा और Working limits तथा CC limits कम हो जाएंगी. यहाँ इन दो बातों का ध्यान रखना होगा:

(1) Business के survival हेतु Cash Flow और Liquidity Management महत्वपूर्ण होगा.

(2) बहुत सारे व्यवसायी शायद business के pressure को झेल न पाएं और कमजोर कड़ी में रूप में out हो जाएं. बाजार capture करने का यह एक अवसर भी होगा उनके लिए जिनकी Cash Flow और Liquidity मजबूत होगी.

यह सलाह दी जा सकती है कि moratorium का लाभ लें, liquidity को बना के रखें. Cash flow का प्रत्यक्ष संबंध cost management से है. इसमें दो factor काम करेंगे:

1. Interest cost 2. Manpower cost

Inventory तथा Receivable management पर focus करना होगा. Low inventory तथा quick realisation mode पर जाने का प्रयास करें. Slow moving items से छुटकारा पाएं. व्यवसाय अच्छा चल रहा हो तो बहुत सी बातों पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की जाती, किन्तु liquidity खड़ी करने के लिए recoveries व small debtors पर ध्यान दिया जाना चाहिए. आने वाला समय अत्यंत ही crucial होगा. बैंक का support शायद उतना नहीं रहे. Business survival ही आधारभूत जरूरत रह जाएगी. इसी तरह manpower management analyses करना होगा. कर्मचारियों की productivity का analyses, Job Profile identification नए सिरे से करना होगा. Cost cutting ही survival के लिए महत्वपूर्ण होगा.

कोरोना पश्चात काल में supply chain break होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है. जो उद्योग या व्यवसाय इस अवधि में कमजोर पड़ेंगे उनसे यह खतरा बना रहेगा. दोनों ही inward तथा outward सप्लाय chain के प्रति सजग रहना होगा और विकल्पों की अग्रिम रूप से शोध भी करनी होगी.

निष्कर्ष यही है कि Cash Flow तथा liquidity post Corona में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी. फिर भी अवसर अनेक आएंगे जिनको encash करने की तैयारी रखनी होगी.